कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः 1872 /एस0टी0–डी0एम0–कोरोना/2020 दिनांकः 26/3/2020

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पांच–5–2020 दिनांक 14 मार्च,2020 द्वारा महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या–3 सन् 1897) की धारा–2 के अधीन उ0प्र0 महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 के प्रस्तर संख्या–12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला मजिस्ट्रेट बी0एन0 सिंह **ACE Golfsire, Sector-150 Noida ग्रुपहाउसिंग** में कोरोना वायरस से दो व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित (Detect) होने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से COVID-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उददेश्य से उक्त **ACE Golfsire, Sector-150 Noida ग्रुपहाउसिंग** के सम्पूर्ण परिसर (समस्त आवासीय टावर) को दिनांक 26.3.2020 के प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 28.3.2020 की प्रातः 10:00 बजे तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोडकर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश देता हूँ। उक्त अवधि में **ACE Golfsire, Sector-150 Noida ग्रुपहाउसिंग एवं आस–पास के** सम्बन्धित क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने–अपने आवासीय परिसर (इण्डोर) में ही रहेगें। आदेश का उल्लघंन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन 1860) की धारा 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।

किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त ग्रुप हाऊसिंग/सोसायटी का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम नं0 8076623612 व 6396776904 अथवा डॉ0 अनुराग भार्गव, मुख्य चिकित्साधिकारी (मो0नं0 8920191803) से सम्पर्क कर सकते हैं।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0

(बी0एन0 सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), उ0प्र0शासन, लखनऊ।
5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से अनुपालन कराने का कष्ट करें।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिलाधिकारी सदर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्रुप हाउसिंग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवं सम्बन्धित को सूचित किये जाने के साथ–साथ चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर आदेश का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त अवधि में **ACE Golfsire, Sector-150 Noida ग्रुपहाउसिंग** में निर्धारित प्रोटोकॉल (यथा सैनेटाईजेशन आदि)के अनुसार अविलम्ब यथावॉछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराये।
9. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
10. ए0ओ0ए0 के **अध्यक्ष, ACE Golfsire, Sector-150 Noida ग्रुपहाउसिंग** को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with CamScanner